

कार्यालय : महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन, अम्बाला विज्ञप्ति

शिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित अप्रेंटिसों को चयन हेतु दस्तावेजों की जांच दिनांक 25.08.2022 को की जाएगी जिसके लिए शिक्षुओं का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	ट्रेड का नाम	शिक्षुओं की संख्या
1	हिन्दी स्टैनो	03
2	इंग्लिश स्टैनो	02
3	कोपा	04
4	फीटर	03
5	डीजल मकैनिक	13
6	मोटर मकैनिक व्हीकल	05
7	इलैक्ट्रिशियन	10
8	पेन्टर	01
9	कारपेन्टर	04
10	सीट मेटल	01
11	टायर रिपेयर	04
12	वैल्डर	02
	कुल अप्रेंटिस के पद	52

इच्छुक शिक्षु अपने मूल दस्तावेज सहित महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन के कार्यालय नजदीक अग्रसैन चौक अम्बाला शहर में प्रातः 10.00 बजे आयेंगे जहाँ उनके सभी मूल दस्तावेज चैक किये जायेंगे। इच्छुक प्रार्थी अपना रजिस्ट्रेशन दिनांक 12.08.2022 से 22.08.2022 तक Website : <http://www.apprenticeshipindia.org> पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं दिनांक 11.08.2022 से पहले व दिनांक 22.08.2022 को सायं 5:00 बजे के बाद किया गया रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। इच्छुक प्रार्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कॉपी मूल दस्तावेज उनकी फोटोप्रति साथ लाएं, सफल शिक्षुओं का चयन आईटीआई के मार्कशीट की मैरिट के आधार पर किया जाएगा। मैरिट सूची के अनुसार चयनित रिक्त पड़े पदों के विरुद्ध सफल प्रार्थियों का चयन किया जाएगा।

महाप्रबंधक,
हरियाणा राज्य परिवहन,
अम्बाला